



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में हत्या करने वाले आरोपी लोकन्द्र को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

अवगत कराना है कि अभियुक्त लोकन्द्र पुत्र फूल सिंह निवासी ग्राम हेवा थाना छपरौली जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2004 में हत्या करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना छपरौली पर मु0अ0सं0- 298/2004 धारा 147/148/302/149/307 भादवि पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई । जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 31.01.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट-1 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त लोकन्द्र को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था ।



श्री गगन गौड एडीजीसी
जनपद बागपत



मुख्य आरक्षी अलिल कोर्ट
पैरोकार थाना चांदीनगर

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।



Baghpat Police



baghpatpolice



@baghpatpolice



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 31.01.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 586/21 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड) व मु0अ0सं0 588/21 धारा 414 भादवि में वांछित 10000 रुपये के ईनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद मे अपराधो की रोकथाम व गैंगस्टर/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 586/21 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड) व मु0अ0सं0 588/21 धारा 414 भादवि में वांछित 10000 रुपये के ईनामी अभियुक्त मुबारिक को गिरफ्तार किया गया है। उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।



उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध मे थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मुबारिक पुत्र इदरीश निवासी ग्राम अन्दरौला थाना हथीन जिला पलवल हरियाणा ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 586/21 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड) थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 588/21 धारा 414 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 991/22 धारा 174ए भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

4-मु0अ0सं0 992/22 धारा 174ए भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री महेशचन्द शर्मा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-उ०नि० श्री सत्यम जंघाला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-उ०नि० श्री नकुल राठी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 4-है०का० 339 राकेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 5-का० 44 संजीव कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 31.01.2024

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस, सर्विलांस सैल व एसओजी बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु०अ०सं० 28/2024 धारा 363 भादवि से सम्बन्धित गुमशुदा/अपहृता 03 नाबालिग बहनो को जम्मू से सकुशल किया बरामद ।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 17.01.24 को थाना बडौत क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लुहारी से 03 नाबालिग बहने गुम हो गयी थी , जिसके सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु०अ०सं० 28/2024 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया था ।

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाए जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस, सर्विलांस सैल व एसओजी बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाना बडौत के मु०अ०सं० 28/2024 धारा 363 भादवि से सम्बन्धित 03 नाबालिग बहनो को जम्मू से सकुशल बरामद किया गया है। तीनों बहनो की बरामदगी हेतु पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा 05 टीमो का गठन किया गया था, दिनांक 18-01-2024 में जम्मू से बरामद हुई थी जिनको

बाल कल्याण समिति से आदेश करारकर आज दिनांक 31-01-2024 को जनपद बागपत लाया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1-श्री सवि रत्न गौतम क्षेत्राधिकारी बडौत बागपत ।
- 2-श्री विजय चौधरी क्षेत्राधिकारी यातायात बागपत
- 3- श्री संजय कुमार शर्मा प्रभारी निरीक्षक बडौत थाना बडौत ।
4. निरीक्षक श्री मनोज चाहल प्रभारी सर्विलांस मय सर्विलांस टीम
- 5-व0उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह चौहान थाना बडौत ।
- 6-उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्रपाल सिंह थाना बडौत ।
- 7-उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना बडौत ।
- 8- उ0नि0 श्री सुरेश कुमार थाना बडौत ।
- 9- म0उ0नि0 श्रीमति सरिता सिंह जादौन थाना बडौत ।
- 10-है0का0 468 कुलदीप सिंह थाना बडौत ।
- 11- है0का0 438 कवित कुमार थाना बडौत ।
- 12- है0का0 437 बलजीत सिंह थाना बडौत ।
- 13- का0 112 नगेन्द्र सिंह थाना बडौत ।
- 14- का0 666 रघुवीर सिंह थाना बडौत ।
- 15- का0 403 नितिन त्यागी थाना बडौत ।
- 16- का0 402 विशाल पुनिया थाना बडौत ।
- 17- है0का0 489 सुनील कुमार SOG टीम बागपत
- 18- म0का0 762 कुसुम देवी थाना बडौत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 31.01.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने मु0अ0सं0 69/24 धारा 457/380/411 भादवि व मु0अ0सं0 71/24 धारा 457/380/411 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 01 बाल अपचारी के विरुद्ध कार्यवाही कर अन्य 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ,जिनके कब्जे से चोरी किये हुए आभूषण बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

1-दिनांक 30.1.24 को थाना कोतवाली बागपत पर वादिया ने प्रार्थना पत्र दिया कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादिया के मकान की दीवार फांदकर कमरो व सैफ का ताला तोडकर सफेद व पीली धातु के आभूषण व कपडे चोरी कर लिये है । इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 69/24 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत किया गया ।



2- दिनांक 30.1.24 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी अलाउद्दीन पुत्र सुजाउद्दीन निवासी मौ0 केतीपुरा कस्बा बागपत ने एक प्रार्थना पत्र दिया कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के मकान से सफेद व पीली धातु के आभूषण व बर्तन व कपडे चोरी कर लिये है इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 71/24 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 69/24 धारा 457/380 भादवि व मु0अ0सं0 71/24 धारा 457/380 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 01 बाल अपचारी के विरुद्ध कार्यवाही कर अन्य 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । जिनके कब्जे से चोरी किया हुए आभूषण 01 जोडी सैंपल सफेद

धातु, 02 एटीएम कार्ड, 01 गले का हार सफेद धातु, 01 जोडी कुंडल पीली धातु, 03 पुरानी घडी, 01 गले का हार पीली धातु, 01 लौंग पीली धातु, 01 नाक का छल्ला पीली धातु, 01 चुटकी सफेद धातु, 01 छल्ला सफेद धातु बरामद हुई है।

उपरोक्त अभियोगो में बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की वृद्धि कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-गुलफाम उर्फ पप्पू पुत्र रिसायत निवासी मौहल्ला कैतीपुरा तालाब के पास करबा व थाना बागपत जनपद बागपत

2- बाल अपचारी

बरामदगी का विवरण-

- 01 जोडी सैंपल सफेद धातु।
- 02 एटीएम कार्ड।
- 01 गले का हार सफेद धातु।
- 01 जोडी कुंडल पीली धातु।
- 03 पुरानी घडी।
- 01 गले का हार पीली धातु।
- 01 लौंग पीली धातु।
- 01 नाक का छल्ला पीली धातु।
- 01 चुटकी सफेद धातु।
- 01 छल्ला सफेद धातु।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री कैलाशचन्द्र थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-है0का0 214 उमेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-का0 369 विशाल कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

4-का0 421 अंकुल कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।



प्रेस नोट

जनपद बागपत

दिनांक 31.01.2024

बागपत पुलिस ने 08 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 08 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-संजय पुत्र जयपाल निवासी ग्राम चन्दायन थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 2- सचिन पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम कुर्डी थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 3-स्वराज पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी ग्राम तुगाना थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 4-सुमित पुत्र पप्पू निवासी मो0 रैदासपुरी कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 5-सचिन पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम बसी थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 6-सागर पुत्र महक सिंह निवासी मो0 रैदासपुरी कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 7-नौशाद पुत्र हमीद निवासी ग्राम रमाला थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 8-राजेन्द्र पुत्र यागेराज निवासी ग्राम हसनपुर जिवानी थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-थाना बिनौली पुलिस टीम ।
- 2- थाना छपरौली पुलिस टीम ।
- 3- थाना कोतवाली बागपत पुलिस टीम ।
- 4- थाना रमाला पुलिस टीम





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक-31.01.2024

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 23/2024 धारा 354/328/384/323/504/506 भादवि में वांछित एक बाल अपचारी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए, अन्य एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 23/2024 धारा 354/328/384/323/504/506 भादवि में वांछित एक बाल अपचारी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अन्य एक अभियुक्त गौरव को गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1-गौरव पुत्र हरपाल निवासी पट्टी मादान करबा व थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-एक बाल अपचारी ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री श्याम सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2.का0 1060 गौरव कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3.का0 876 कैलाश कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक -31.01.24

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 924/23 धारा 376 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 924/23 धारा 376 भादवि से सम्बन्धित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अमित कटारिया उर्फ विकास पुत्र हरवीर निवासी मुकररपुर कन्डेरा थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 मौ0 आसिफ थाना बडौत ।

2-का0 919 गजेन्द्र सिंह थाना बडौत ।